

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला बईजलास  
श्री गोपीलाल चन्देल, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी डूंगला

नम्बर व त  
अहकाम ज  
हुकम की त  
में जारी हु

1- श्रीमती रामी बाई पत्नी राम लाल गुर्जर निवासी नेगडिया तहसील डूंगला।

-वादि्या

॥ बनाम ॥

1- श्री पृथ्वीराज पुत्र गमेरा सुथार निवसी नेगडिया तहसील डूंगला।

2- श्री दुर्गा शंकर पिता नारायण जी मेनारिया निवासी वाना तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

3- राज. सरकार जरिये तहसीलदार सा. डूंगला राजस्थान।


- प्रतिवादीगण

वाद पत्र- अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए प्रकरण संख्या 06/2015

वादी की और से वकील श्री नरेन्द्र कुमार मेहता और प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही। यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारों के लिए पेश होने पर वाद वादीग हस्त फर्द बंटवारा फाईनल डिक्री किया जाता है कि मौजा नेगडिया की वादपत्र में वर्णित आराजीयात पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने आदेश दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	श्रीमती रामी पत्नी रामलाल गुर्जर निवासी नेगडिया	396 मी.	0.4501	
	कुल किता	1	0.4501	
2	श्री दुर्गाशंकर पिता नारायण लाल मेनारिया हाल मु. वाना तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर सा.देह के हिस्से में रहेगी	395 490 500 396/1	0.3565 0.4106 0.0432 0.0900	2.48 2.85 बाडा
	कुल किता	4	0.9003	
3	श्रीमती रामी बाई पत्नी रामलाल गुर्जर निवासी नेगडिया 1/3 श्री दुर्गाशंकर पिता नारायण लाल मेनारिया बहामण जिला वाना तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर	396/2	0.0216	रास्ता
	कुल किता	1	0.0216	

इस वाद के खर्च Nil. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सहित द्वारा को दी जावें। यह आज दिनांक 2015 को मेरे हस्ताक्षर से और मोहर अदालत से जारी की गई।



उपखण्ड अधिका  
उपख डूंगला  
डूंगला